

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

:- आदेश :-

श्री जयराम प्रसाद, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त), बराज प्रमंडल, गालूडीह को दिनांक-16.07.18 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अंतर्गत एवं कृत अनुशंसा के आलोक में श्री प्रसाद को विभागीय आदेश सं०-2497 दिनांक-02.04.97 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के कुप्रभाव के कारण विभागीय आदेश सं०-3509 दिनांक-28.12.07 के क्रमांक 39 द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि क्रमशः दिनांक-9.08.99 को संशोधित करते हुए दिनांक 1.04.2000 के प्रभाव से वेतनमान 6500-10500 में प्रथम एवं दिनांक-25.09.03 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली कर ली जाएगी।
3. विभागीय आदेश सं०-3509 दिनांक-28.12.07 के क्रमांक-39 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
4. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3316 राँची, दिनांक :- 03/10/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चाण्डिल काम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर /कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमंडल, गालूडीह/ बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
3/10/18